



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102021-230387
CG-DL-E-12102021-230387

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3888]
No. 3888]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 12, 2021/आश्विन 20, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2021/ASVINA 20, 1943

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4235(अ).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री के. संजय मूर्ति, सचिव, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में अगले आदेशों के होने तक अथवा श्री के. संजय मूर्ति के शिक्षा मंत्रालय में उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव का पदभार धारित करने की तारीख तक, जो भी पहले हो, श्री अमित खरे के स्थान पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 7-5/2021-यू1(ए)]

कामिनी चौहान रतन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021

S.O. 4235(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (3) of Section 5 read with clause (c) of Sub-Section (1) of Section 6 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby appoints **Shri K. Sanjay Murthy**, Secretary, Department of Higher Education in the Ministry of Education as Member of the University Grants Commission until further orders or till such time **Shri K. Sanjay Murthy** occupies the post of Secretary, Department of Higher Education in the Ministry of Education, whichever is earlier, vice Shri Amit Khare.

[F. No. 7-5/2021-U1(A)]

KAMINI CHAUHAN RATAN, Jt. Secy.